न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–29/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00066)

01. कानाराम (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)
    1/1. सुरेश पुत्र स्व. कानाराम,
    1/2. रिछपाल पुत्र स्व. कानाराम,
    1/3. मनोहरी पत्नी स्व. कानाराम,
    1/4. सावित्री पुत्री स्व. कानाराम,
    1/5. संतोष पुत्री स्व. कानाराम,
02. भगवती प्रसाद पुत्र स्व. बिरदाराम,
03. गोकुल चन्द पुत्र स्व. बिरदाराम,
04. रामचन्द पुत्र स्व. बिरदाराम,
05. मन्जु देवी पुत्री बिरदाराम,
06. सायरीदेवी पुत्री स्व. बिरादराम,
07. गीतादेवी पुत्री स्व. बिरदाराम,
08. कमली देवी पुत्री स्व. भूराराम,
09. रमकी देवी पुत्री स्व. भूराराम,
10. बाबूलाल पुत्र स्व. प्रभूदयाल,
11. सुभाष पुत्र स्व. प्रभूदयाल,
12. कमला देवी पत्नी स्व. प्रभूदयाल,
13. प्रेम उर्फ मन्नी पुत्री स्व. प्रभूदयाल,
14. बिमला देवी पुत्री स्व. प्रभूदयाल, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. मुरली पुत्र धन्ना,
02. औमप्रकाश पुत्र देवीलाल,
03. पिक्या पुत्र श्योराम,
04. दामोदर पुत्र ग्यारसा, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 22.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार चौमू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 08.12.2016 (प्रकरण संख्या 11/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स के पूर्वज भूरा दत्तक पुत्र नानू की ग्राम जैतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1563 रकबा 0.37 हैक्टयर खातेदारी में भी जिसका दिनांक 10.05.1987 का स्वर्गवास हो जाने के कारण अपीलान्ट्स द्वारा भूरा पुत्र नानू के वारिसान होने के कारण अपीलान्ट्स द्वारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नामान्तरकरण संख्या 922 अपीलान्ट्स के पक्ष में भरा गया तथा अपीलान्ट्स के पक्ष में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 922 को तस्दीक नही किये जाने बाबत रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आपत्ति किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के सबूत साक्ष्य लेकर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए सिविल न्यायालय से प्रोबेट प्राप्त करने के आदेश पारित कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तौर से खारिज कर दिया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के पूर्णतया विपरित है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण कृषि भूमि से सम्बन्धित होने के कारण राजस्थान राज्य में प्रोबेट प्राप्त करने का कोई कानूनी प्रावधान नही है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलान्ट्स को सिविल न्यायालय से प्रोबेट लेने का कथन करते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानून की सरासर अवहेलना की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स का यह स्पष्ट कथन था कि विवादित भूमि भूरा पुत्र नानू के खातेदारी व कब्जा काश्त थी जिसका स्वर्गवास दिनांक 10.05.1987 को निर्वसीयत हो जाने के कारण अपीलान्ट उसके विधिक कानूनी अधिकारी है तथा वसीयत नही होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के प्रावधान के अनुसार पर्सनल (हिन्दू विधि) के अनुसार भूरा पुत्र नानू की खातेदारी आराजी के एकमात्र अधिकारी अपीलान्ट्स ही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्राबेट प्राप्त करने के आदेश प्रदान करते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी कानूनी भूल किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय न्याय संगत नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा स्वयं को भूरा पुत्र नानू के वारिसान बताते हुए भूमि अपनी होने का क्लेम किया है जबकि रेस्पोडेन्ट के पूर्वज भूरा पुत्र नानू का स्वर्गवास सन् 1970 में ही हो चुका है तथा अपीलान्ट्स के पूर्वज भूरा पुत्र नानू का स्वर्गवास सन् 1987 में अर्थात करीबन 17 वर्ष पश्चात् हुआ है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट्स द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य, भी पेश किये गये है जिन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में कोई विचार नही किया है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20.12.2004 के आधार पर स्वयं को भूरा पुत्र नानू का वारिस क्लेम किया गया है जबकि ग्राम पंचायत जैतपुरा पंचायत समिति गोविन्दगढ को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने अथवा इस प्रकार का प्रस्ताव पास करने का कानूनन कोई भी क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है इस कारण उक्त क्षेत्राधिकार विहिन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू द्वारा प्रकरण संख्या 11/2011

संभागीय आयुक्त
जयपुर

में पारित अपीलधीन निर्णय दिनांक 08.12.2016 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 922 को अपीलान्ट्स के पक्ष में तस्दीक किये जाने के आदेश तहसीलदार चौमू को प्रदान किये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण में एक ही जाति के एवं एक ही गांव के भूरा पुत्र नानू के दो व्यक्ति होने से उक्त व्यक्ति के उत्तराधिकारी तय नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2016 पारित किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी के खातेदार भूरा पुत्र नानू के उत्तराधिकारी होने के साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत का भार उभयपक्ष को है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को पर्याप्त अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2016 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को अपने–अपने समर्थन में साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।